

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य-178/2014/...../राँची, दिनांक

प्रेषक:

ई. शिवा नन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि.)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन, पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड अंतर्गत मंगरधारा मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रु. 460.677 लाख (चार करोड़ साठ लाख सड़सठ हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- 2 जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची प्रक्षेत्राधीन, पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड अंतर्गत मंगरधारा मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु रु. 460.677 लाख (चार करोड़ साठ लाख सड़सठ हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3 प्रस्तावित योजना में Construction of Earthen Dam, Head Regulator, Spillway Canal system with Structures इत्यादि निर्माण का प्रावधान है।
- 4 इस कार्य में 6.63 एकड़ रैयती भूमि का भूअर्जन किया जाना है एवं वनभूमि अपयोजन भी किया जाना है जिसका आकलन अभी नहीं किया गया है। इस हेतु प्रस्तावित कार्य में B-Land मद में रु0-28,66,300 का L-S प्रावधान किया गया है।
- 5 इस योजना से कुल 550 हे० (खरीफ-525 हे० एवं रब्बी-25 हे०) सिंचन क्षमता का सृजन होगा। योजना का इंसीडेस ऑफ कॉस्ट रु० 0.83759 लाख प्रति हे० आकलित है। योजना का B.C Ratio @ 10% Interest 3.20 है।
- 6 प्रस्तावित कार्य स्थल का विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत जल की उपलब्धता एवं कमांड क्षेत्र का आकलन किया जाएगा। तदनुसार रूपाकण कर ही प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जाएगी।
- 7 प्रस्तावित कार्य को वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ कर पूर्ण किया जाना है।
- 8 प्रस्ताव पर होने वाला व्यय की राशि "बजट शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्य-101-सतही जल-19-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 मुख्य निर्माण कार्य" अंतर्गत भारित होगा।
- 9 प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।
- 10 इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 11 इस कार्य के राशि की निकासी मेदिनीनगर कोषागार से की जायगी।
- 12 झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
- 13 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

- 14 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।
- 15 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 16 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हस्ताक्षर

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य-178/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य-178/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य-178/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

हस्ताक्षर

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य-178/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: आयुक्त पलामू, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

हस्ताक्षर

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य-178/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य-178/2014/...../राँची, दिनांक 16.06.2014

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

हस्ताक्षर